भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 4130
(जिसका उत्तर सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट्स को रियायत

4130. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण कारपोरेट्स को रियायत और छूट प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण कारपोरेट को कर में छूट प्रदान की है और यदि हां, तो उस खाते में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए कारपोरेट्स के हितों के लिए नियमों और विनियमों में ढील दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण कारपोरेट्स से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि एकत्र की है और यदि हां, तो कारपोरेट्स से सी.एस.आर. निधि के रूप में प्राप्त कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विचार सी.एस.आर. निधि का लाभ उठाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करने और उन्हें घोषित करने का है और यदि हां, तो कारपोरेट से सी.एस.आर. निधि प्राप्त करने के लिए केरल में मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विभिन्न उपाए किए गए हैं:
(i) कंपनीज फ्रेश स्ट्राट स्कीम (सीएफएसएस), 2020 कंपनियों को पूर्णतः अनुपालक कंपनी बनने के लिए उन्हें नई शुरूआत करने का अवसर प्रदान करने हेतु लांच की गई थी जिसमें उन्हें यह अनुमति दी गई थी कि वे 01 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2020 तक किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना एमसीए-21 रजिस्ट्री में विलंबित दस्तावेजों को फाइल कर सकें। उक्त योजना के तहत शास्ति के आरोपण के लिए अभियोजनों तथा कार्यवाहियों, जो दस्तावेजों के इस तरह विलंब से फाइल किए जाने की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं, से उन्मुक्ति भी प्रदान की गई है।

(ii) एलएलपी निपटान योजना, 2020 की शुरूआत की गई ताकि चूककर्ता सीमित दायित्व भागीदारी ('एलएलपी') को अतिरिक्त शुल्कों में एक बारगी छूट प्रदान किया जा सके जिससे कि वे कंपनी रजिस्ट्रार ('आरओसी' या 'रजिस्ट्रार') के पास लंबित दस्तावेजों को फाइल करते समय अपनी चूकों में सुधार कर सके। उक्त योजना एलएलपी द्वारा कतिपय फाइलिंग करने हेतु दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 तक प्रारंभतः चलाई गई। तथापि, कोविड-19 महामारी की वजह से, सभी ई-प्ररूपों को कवर करने वाली आशोधित एवं विस्तारित योजना 01.04.2020 से 31.12.2020 तक चलाई गई। उक्त योजना के तहत, चूककर्ता एलएलपी को यह अनुमति दी गई कि वे विलंबित दस्तावेजों को फाइल करें।

(iii) कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर तथा कोविड-19 महामारी के फैलाव की वजह से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कतिपय प्ररूपों (सीएचजी-1 प्ररूप, सीएचजी-4 प्ररूप तथा सीएचजी-9 प्ररूप को छोड़कर) की फाइलिंग में कंपनियों/एलएलपी को अतिरिक्त शुल्कों की उगाही में छूट प्रदान कर दी थी। तद्नुसार, प्ररूपों की विलंब से फाइलिंग के लिए 31 अगस्त, 2021 तक किसी अतिरिक्त शुल्क (उपर्युक्त संदर्भित प्ररूपों से संबंधित प्रभारों को छोड़कर) की उगाही नहीं की गई, जो 01 अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 की अवधि के दौरान फाइलिंग हेतु नियत थे। 31 अगस्त, 2021 तक ऐसे विलंबित फाइलिंग के लिए, केवल सामान्य शुल्क ही देय था।

(iv) कोविड-19 के मद्देनजर तथा कानून का पालन करने वाली कंपनियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, 01 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रभारों के सृजन अथवा आशोधन से संबंधित प्ररूपों की फाइलिंग के लिए समय सीमा में छूट देने हेतु एक योजना आरंभ की गई थी।

(v) कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 03.05.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 7/2021 और दिनांक 30.06.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 12/2021 के जरिए समय-सीमा में छूट प्रदान की थी और शुल्क/अतिरिक्त शुल्क/यथा-मूल्य शुल्क का परित्याग कर दिया था, जैसा भी किसी कंपनी अथवा चार्ज होल्डर द्वारा प्रभारों (सीएचजी-1 प्ररूप तथा सीजीएच-9 प्ररूप) के सृजन/आशोधन के संबंध में प्ररूपों का फाइल करने में मामला हो। कंपनी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार, किसी प्रभार अथळा इसके आशोधित स्वरूप को शुल्कों/अतिरिक्त शुल्क/यथा-मूल्य शुल्कों, यथा प्रयोज्य सहित, को इसके सृजन अथवा आशोधन की तारीख से 120 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से फाइल किया जाना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त परिपत्र के तहत, जब प्रभार अथवा इसके आशोधित स्वरूप को 01 अप्रैल, 2020-21 से पहले फाइल करना नियत था और इसके सृजन अथवा आशोधन के समय से 120 दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, शुल्क/अतिरिक्त शुल्क/यथा-मूल्य शुल्क का परित्याग कर दिया गया था और प्ररूप से संबंधित प्रभार को फाइल करने की 120 दिनों की अतिरिक्त सख्त समय-सीमा में प्रभार अथवा उसके आशोधित स्वरूप को फाइल करने की 120 दिनों की समयावधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ निश्चित अवधि की गणना नहीं करते हुए छूट प्रदान की गई थी।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 252 के तहत 1 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच एनसीएलटी द्वारा पुनर्स्थापित की गई कंपनियों के लिए विलंब की माफी की योजना आरंभ की गई थी। इस स्कीम में इस बात का प्रावधान था कि रजिस्ट्रार के पास प्ररूपों को फाइलिंग में विलंब होने पर माफी प्रदान की जाए तथा अतिरिक्त शुल्कों के भुगतान को छोड़ दिया जाए। यह योजना 01 फरवरी, 2021 से प्रचालन में थी तथा 31 मार्च, 2021 तक ऐसी कंपनियों द्वारा अति देय ई-फॉर्मों के फाइलिंग हेतु उपलब्ध थी।

(vii) कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए, कंपनियों को उन मामलों के संबंध में संकल्प पारित करने के लिए विडियों कॉन्फेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समय-समय पर कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 में संशोधन करते हुए निदेशकों की वास्तविक उपस्थिति की अपेक्षा वाली बैठकों में पूर्व में पारित किया जाना अपेक्षित था। कंपनियों को ऐसी सुविधा प्रारंभ में 30 जून, 2021 तक उपलब्ध थी। (आरंभ में यह 30.06.2020 तक थी, फिर यह 30.09.2020 और 31.12.2020 तक बढ़ा दी गई)। इसके बाद, कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 4 को दिनांक 15.06.2021 की अधिसूचना के तहत लोप कर दिया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निदेशक मंडल द्वारा विडियो कॉन्फेसिंग या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है तथा संकल्प पारित किया जा सकता है। ऐसा करने से कंपनी बोर्ड को व्यवसाय का संचालन करने में अधिक सुविधा हो गई है तथा आसानी से व्यवसाय करने के सरकार का उद्देश्य सुगम हो गया है।

(viii) कंपनियों को वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम), जो कि 30 जून, 2021 तक पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा/सरलीकृत वोटिंग के संपूरक है, के माध्यम से असाधारण आम बैठक (ईजीएमएस) आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने पूर्वकथित समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दिया है।

(ix) उन कंपनियों को अपनी वार्षिक आम बैठकें दिनांक 30.06.2022 को या इससे पूर्व वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित करने की अनुमति दी गई है जिनकी वार्षिक आम बैठकें वर्ष 2020 में आयोजित की जानी नियत थी या वर्ष 2021 या 2022 में आयोजित किए जाने के लिए नियत होंगी। वित्तीय विवरणों की वास्तविक प्रतियां भेजने में आने वाली कठिनाइयों के कारण कंपनियों को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज, सिर्फ ई-मेल के जरिए भेजने की अनुमति है।

(x) कंपनी रजिस्ट्रार ने मंत्रालय की सलाह पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की निर्धारित तिथि से समयावधि तीन महीने तक बढ़ा दी थी। इसी तरह, दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समयावधि भी मंत्रालय की सलाह पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 02 माह की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी।

(xi) वित्तीय विवरणों के फॉरमेट, कंपनी (लेखा) नियम, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम और कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 में किए गए संशोधनों के जरिए प्रकटीकरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ किया गया। कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 को वर्ष 2019-20 के बदले, वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से लागू कर दिया था ताकि लेखा परीक्षकों और कंपनियों से संबंधित अनुपालन अपेक्षा को सुगम बनाया जा सके।

(xii) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 से संबंधित किराया रियायत के फायदे 30 जून, 2021 की प्रारंभिक तिथि से 30 जून, 2022 की अवधि तक बढ़ाने के लिए दिनांक 18.06.2021 की अधिसूचना के जरिए संशोधन किया गया था।

(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 173 में उल्लिखित अंतरालों (120 दिन) के भीतर कंपनी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनिवार्यता 60 दिनों की अवधि तक, अगली दो तिमाहियों तक अर्थात 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी। दूसरी कोविड लहर को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए उपरोक्त छूट और बढ़ा दी और तद्नुसार कंपनी अधिनियम, 2013 में यथाअपेक्षित 120 दिनों के स्थान पर तिमाही-अप्रैल से जून, 2021 और तिमाही- जुलाई से सितंबर, 2021 के दौरान बोर्ड की दो लगातार बैठकों का अंतराल बढ़ाकर 180 दिन किया जा सकता है।

(xiv) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) को कम से कम एक बैठक आपस में आयोजित करने के लिए छूट प्रदान की गई है और तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, यदि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक आयोजित नहीं कर पाए हैं तो इसको उल्लंघन के रूप में नहीं माना गया है।

(xv) मंत्रालय ने समयावधि को 1 दिसंबर, 2019 से तेरह महीने तक बढ़ा दिया है जिसके भीतर मौजूदा स्वतंत्र निदेशक कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 में समय-समय पर संशोधन के जरिए स्वतंत्र निदेशकों के लिए डाटा बैंक में अपने नाम शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन एवं रखरखाव) नियम, 2019 में दिनांक 18.06.2021 की अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि यदि किसी व्यक्ति से स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में अपने नाम को शामिल करने के लिए किसी संस्थान में आवेदन करने में विलंब हुआ है अथवा उसका नवीकरण करने में विलंब हुआ है, तो संस्थान ऐसे विलंब के कारण एक हजार रुपये का और शुल्क प्रभारित करने के पश्चात ऐसे समावेशन अथवा नवीकरण, जैसा भी मामला हो, की अनुमति देगा। इस संशोधन के माध्यम से हितधारकों की एक बड़ी संख्या, जिन्होंने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, विलंबित आवेदन के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, उनके अनुरोध को मान लिया गया है।

(xvi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(2)(ग) के तहत 20% डिपॉजिट पुनः भुगतान रिजर्व बनाने के लिए और कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के नियम 18 के तहत डिबेंचर्स की राशि का 15% निवेश या डिपाजिट करने के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर, 2020 तक बढा दिया गया था।

(xvii) नई निगमित कंपनियों द्वारा व्यवसाय के आरंभ की अपेक्षित घोषणा फाइल करने की अनुपालना के लिए 180 अधिक दिनों की अतिरिक्त अवधि की स्वीकृति दी गई है।

(xviii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत प्रत्येक कंपनी के कम से कम एक निदेशक द्वारा न्यूनतम 182 दिनों की अवधि के लिए भारत में न्यूनतम रेसिडेंसी का अनुपालन नहीं करने को वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए गैर-अनुपालन के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xix) 31 दिसंबर, 2020 तक, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीट पोस्ट या कुरियर के माध्यम से राइट्स इश्यू के लिए नोटिस भेजने में असमर्थता को इस अधिनियम की धारा 62(2) के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा, बशर्ते कि ये कंपनियां सेबी के 6 मई, 2020 और 24 जुलाई, 2020 के परिपत्रों का अनुपालन करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के माध्यम से नोटिस जारी करने का तरीका/प्रक्रिया प्रदान किया गया है।

(xx) सूचीबद्ध कंपनियों एवं एनबीएफसी के लिए विनिर्दिष्ट लिखतों में किसी विशिष्ट वर्ष में परिपक्व होने वाले डिबेंचरों की 15% राशि का निवेश करने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है, जब ऐसे डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी किए जाते हैं।

(xxi) एनएफआरए में एनएफआरए-2 प्ररूप फाइल करने हेतु लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा प्रतिष्ठानों के लिए अनुमत समयावधि, कोविड-19 के दौरान बाधा से संबंधित पेश आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर, कुल 270 दिनों की अवधि तक बढ़ा दी गई है।

(xxii) कंपनियों द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध-सैनिक बल (सीपीएमएफ) के सेवा निवृत्त सैनिकों, और विधवाओं सहित उनके आश्रितों से संबंधित गतिविधियों पर किए गए व्यय को सीएसआर व्यय मान लिया गया है।

(xxiii) कंपनी के प्रबंधन को लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है और वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए, सीआरए-4 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को फाइल करने के लिए प्ररूप) की फाइलिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी, मंत्रालय ने कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(5) के तहत निदेशक मंडल को लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 करने की स्वीकृति दे दी है।

(xxiv) अगस्त, 2020 में, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 संशोधित किए गए ताकि कंपनियां, वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू करके तीन वित्तीय वर्षों तक, अपने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में पात्र सीएसआर कार्याकलाप के रूप में कोविड-19 से संबंधित नई वैक्सीन, औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य कर सकें।

2. इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 22.03.2022 को कहा है कि सरकार ने कारपोरेट करदाताओं सहित, सभी करदाताओं को राहत देने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। उठाए गए इन कदमों का ब्यौरा निम्नवत है:

(I) सरकार ने प्रमुख कर अनुपालन संबंधी विभिन्न निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि की है जैसे आयकर रिटर्न फाइल करने, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने इत्यादि की तिथि को आगे बढाना। इसके अलावा, अपीलों, परिशुद्धि हेतु आवेदनों को फाइल करना, नोटिसों का जवाब देना, अनुमोदन/पंजीकरण हेतु आवेदन करना, इत्यादि जैसे करदाताओं द्वारा विभिन्न अनुपालनों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) में विभिन्न विनिर्दिष्ट समयसीमा और आकलन आदेश जारी करना, अनुमोदन/पंजीकरण इत्यादि प्रदान करना, जैसी विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समयसीमा भी उपयुक्त रूप से बढा दी गई है।

(II) सरकार ने कारपोरेट करदाताओं सहित अन्य करदाताओं के पास नकदी को बढावा देने हेतु निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:

(i) करदाताओं के पास उपयोग हेतु अपेक्षाकृत अधिक निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, निवासियों को किए गए गैर-वेतन विनिर्दिष्ट भुगतानों हेतु स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की दरें और विनिर्दिष्ट प्राप्तियों हेतु स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) की दर 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25 प्रतिशत कम कर दी गई थी।

(ii) करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, दिनांक 20.03.2020 से 29.06.2020 तक भुगतान हेतु देय आयकर (उदाहरण के रूप में अग्रिम कर, टीडीएस, टीसीएस), समकरण उगाही, प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी), वस्तु संव्यवहार कर (सीटीटी), का भुगतान नहीं किए जाने पर ब्याज घटी हुई 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर प्रभारित किया जाएगा, यदि भुगतान 30.06.2020 तक कर दिया जाता है। साथ ही, इन गैर-भुगतानों के लिए कोई शास्ति/अभियोजन की कार्रवाई आरंभ नहीं की जाएगी।

(iii) लघु तथा मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, 01 लाख रु. के स्व-आकलन कर देयता वाले करदाता के माामले में वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान स्व-आकलन कर के भुगतान की तिथि, ऊपर उल्लिखित आयकर रिटर्न के लिए निर्धारित तिथियों में विस्तार करने सहित, बढा दी गई थी।

(III) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने एवं कोविड-19 की पुष्ठभूमि में करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) नई कंपनियां स्थापित करने या विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करने हेतु कंपनियों के लिए कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, वित्त विधेयक, 2022 में 31.03.2023 से 31.03.2024 तक विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि बढ़ाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा ।।5खकख में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) महामारी की वजह से होने वाले विलंब के संदर्भ में एक उपयोगी कदम के रूप में तथा ऐसे पात्र स्टार्ट-अप को बढावा देने के उद्देश्य से, वित्त विधेयक, 2022 में 31.03.2023 तक पात्र स्टार्ट-अप के समावेशन की अवधि को बढ़ाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के उपबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(iii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के मूल्य की आवासीय यूनिटों की प्राथमिक बिक्री हेतु 10% से 20% तक सर्किल दर और करार मूल्य के बीच विभेद हेतु सुरक्षित संश्रय सीमा में वृद्धि करना। [वित्त अधिनियम, 2021]

(iv) वहनीय घर की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, वहनीय आवासीय परियोजना के लिए करावकाश का दावा करने की पात्रता अवधि भी 31 मार्च, 2022 तक एक वर्ष के लिए बढा दी गई थी [वित्त अधिनियम, 2021]।

(v) प्रवासी कामगारों के लिए वहनीय किराए पर घर की उपलब्धता को बढावा देने हेतु, अधिसूचित वहनीय किराया आवासीय परियोजना के लिए एक नए करावकाश का प्रावधान किया गया था। [वित्त अधिनियम, 2021]

(vi) करदाताओं का चार्टर - माननीय प्रधानमंत्री ने 'करदाताओं का चार्टर' भी लांच किया है। इस चार्टर में करदाता के प्रति आयकर विभाग की कतिपय प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया गया है। इसे अंगीकार किए जाने से भारत विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाईटेड किंगडम, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के समूह में शामिल हो गया है, इन देशों ने भी अपने करदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए चार्टर को अंगीकार एवं प्रकाशित किया है। इस चार्टर से करदाताओं एवं कर प्रशासन के बीच विश्वास काफी हद तक सुदृढ़ होगा। इससे आयकर विभाग की सुपुर्दगी प्रणाली की क्षमता में भी वृद्धि करने में सुविधा होगी। [13 अगस्त, 2020 को अंगीकार किया गया।]

(vii) आयकर रिटर्न को निर्धारित समय से पहले फाइल करना - कर अनुपालन को अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत करदाताओं के लिए पहले से भरे गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) का प्रावधान किया गया है। इस आईटीआर फार्म में अब वेतन आय जैसे कतिपय आय के पहले से भरे हुए ब्यौरे शामिल हैं। बैंक ब्याज, लाभांश इत्यादि जैसी सूचना को शामिल करते हुए प्री-फाइलिंग के लिए सूचना की सुविधा भी बढा दी गई है।

(viii) नया प्रपत्र-26 एएस - आयकर अनुपालनों के द्वारा अनुपालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, एक नया प्रपत्र-26 एएस अधिसूचित किया गया है। इस नए प्रपत्र में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण, विशिष्ट वित्तीय लेनदेन, करों का भुगतान, मांग एवं प्रतिदाय, लंबित एवं पूरी हो गई कार्यवाहियां जैसी सभी सूचनाएं शामिल हैं।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उन पात्र कार्यकलापों की सूची प्रदान की गई है जो कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के रूप में प्रारम्भ किये जा सकते हैं। मंत्रालय ने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि अनुसूची VII में निर्दिष्ट मदें व्यापक आधारित है और इनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2020 के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि कंपनियों द्वारा सीएसआर फंड मद संख्या (i) और (XII) के तहत क्रमशः स्वास्थ्य देखभाल निवारण और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कोविड-19 से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए सीएसआर निधियों का व्यय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 22.04.2021, 05.05.2021 और 30.07.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 5/2021, 09/2021 और 13/2021 के माध्यम से, मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि अस्थायी अस्पताल और अस्थाई कोविड देखभाल सुविधा स्थापित

करने और कोविड देखभाल के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना सृजित करने, 'कोविड-19 से लड़ने हेतु आक्सिजन कंनसेंट्रेटरों, वेंटिलेटरों, सिलेंटरों और अन्य चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन एवं वितरण करने' और कर्मचारियों और उनके परिवार के अतिरिक्त व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण करने के लिए सीएसआर राशि का व्यय करना पात्र सीएसआर कार्यकलाप हैं।
अधिनियम के तहत, सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं करती है।

(ङ): सीएसआर के लिए विधिक ढाँचे में, 'गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)' शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में यह विहित है या कि कंपनी के बोर्ड को या तो स्वयं या किसी कार्यान्वयन ऐजेंसी के द्वारा अपने सीएसआर कार्यकलापों को लागू करने का अधिकार, अर्थात्:

(i) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क तथा 80छ के तहत रजिस्ट्रीकृत एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या पंजीकृत सोसाइटी, कंपनी द्वारा स्थापित या तो एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी के साथ, या
(ii) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, या
(iii) संसद या राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के तहत स्थापित कोई निकाय; या
(iv) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क और 80छ के तहत रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी और ऐसे कार्यकलापों को करने का कम से कम तीन वर्षों का स्थापित ट्रेक रिकार्ड रखने वाला/वाली।

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में 22 जनवरी, 2021 को संशोधन किया गया था तथा 01.04.2021 से कार्यन्वयन ऐजेंसियों का केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य बना दिया गया है। तथापि कार्यन्वयन ऐजेंसियों की राज्यवार सूची का रखरखाव इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

*****